



**APPROVAL PROCESS 2023-24**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-36502603920/2023/EOA

Date: 15-May-2023

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
12A, Navin Bhawan,  
U.P. Lucknow-226001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24**

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

<b>Permanent Id</b>	1-497355503	<b>Application Id</b>	1-36502603920
<b>Name of the Institution</b>	GOVERNMENT POLYTECHNIC, LALITPUR	<b>Name of the Society/Trust</b>	GOVERNMENT POLYTECHNIC, LALITPUR
<b>Institution Address</b>	MEHRONI ROAD, LALITPUR, LALITPUR/MASORA KALAN, LALITPUR, Uttar Pradesh, 284403	<b>Society/Trust Address</b>	MEHRONI ROAD MASORA KALAN LALITPUR, LALITPUR/MASORA, LALITPUR, Uttar Pradesh, 284403
<b>Institution Type</b>	Government	<b>Region</b>	Northern
<b>Year of Establishment</b>	1997		

**To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24**

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	No	No
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	No	No

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix 6)**

The Institution/ University is having the following deficiencies as per the online application submitted to AICTE and the same shall be complied within Six Months from the date of issue of this EoA

<b>Deficiencies Noted based on Self Disclosure</b>	
<b>Particulars</b>	<b>Deficiency</b>
<b>1. Anti-Ragging Relate</b>	
Constitution of Anti-Ragging Squad	Yes
<b>2. Faculty Deficiency</b>	
	Yes
<b>3. Instructional Area Common Facilities</b>	
Language Laboratory	Yes
<b>4. Other Facilities Deficiency</b>	
Establishment: Committee for SC/ST	Yes
Establishment: Internal Committee(IC)	Yes
Implementation of student Induction Programme	Yes
Waste Management and a sustainable Green Campus	Yes
Establishment of 24x7 Women helpline number	Yes
Establishment of platform for seeking help	Yes
Implementation of PARAKH	Yes
Internship	Yes

\*Please refer Deficiency Report for details

## **Important Instructions**

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC(NCL) / General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended thereto, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to get accreditation (NBA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1) Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

**Prof.Rajive Kumar**  
**Member Secretary, AICTE**

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education\*\*, Uttar Pradesh**
2. **The Principal / Director,**  
GOVERNMENT POLYTECHNIC,LALITPUR  
Mehroni Road,  
Lalitpur,  
Lalitpur/Masora Kalan,Lalitpur,  
Uttar Pradesh,284403
3. **The Secretary / Chairman,**  
MEHRONI ROAD  
MASORA KALAN  
LALITPUR  
LALITPUR/MASORA,LALITPUR  
Uttar Pradesh,284403
4. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

---

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*



प्रेषक,

चिरौजी लाल,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2023

विषय:- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय 30प्र0, के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश क्षमता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13645/ई-प्लान-12ए 2023-24 दिनांक 24.07.2022 व पत्र संख्या-14341/ई-प्लान-12ए 2023-24, दिनांक 27.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश क्षमता में कमी एवं वृद्धि का समाविष्ट करते हुए 10डब्ल्यू0एस0 कोटा सहित 169 राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 एवं राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रमों की अनुमोदित प्रवेश क्षमता 49778 निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में किए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 49778 सीटों की प्रवेश क्षमता संलग्न सूची में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित संस्थाओं में छात्रछात्राओं का प्रवेश निर्धारित सीटों तक ही किया जायेगा तथा जिन संस्थाओं के लिये प्रवेश क्षमता का निर्धारण किया गया है, उन संस्थाओं में प्रवेश/पंजीकरण के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

(2) समस्त राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये उक्त निर्धारित 49778 सीटों पर काउन्सिलिंग के पूर्व समस्त तथ्यों एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की स्थिति सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(3) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद भी छात्रों का पंजीकरण करते समय यह पुष्टि कर लेंगे कि उक्त सभी सीटें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं।

(4) निर्धारित सीटों पर प्रवेश में आरक्षण संबंधी अद्यावधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) फार्मसी पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रवेश क्षमतानुसार पी0सी0आई0, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6) पी0सी0आई0 सरकुलर के अनुसार फार्मसी पाठ्यक्रम में पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत सीटें ई0डब्लू0एल0 प्रवेश हेतु अनुमन्य की गयी है।

(7) फार्मसी पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 सरकुलर के अनुसार कालम-6 कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत सीटें ई0डब्लू0एस0 प्रवेश हेतु अनुमन्य की गयी है।

(8) आर्कीटेक्चरल असिस्टेंटशिप एवं इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रवेश क्षमता के अनुसार काउंसिल आफ आर्कीटेक्च के निर्देशानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

शुभदीय,

चिरंजी लाल

उप सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
- 2- क्षेत्रीय कार्यालय ए0आई0सी0टी0ई0, विकास नगर, कानपुर।
- 3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
- 4- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
- 5- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)
- 6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, कानपुर।
- 7- निदेशक, ए0आई0टी0एच0, उ0प्र0 कानपुर (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0)
- 8- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- पी0सी0आई0, नई दिल्ली (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)।
- 10- काउंसिल आफ आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)।
- 11- संबंधित राजकीय/अनुदानित संस्थाओं के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)
- 12- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आजा से,

चिरंजी लाल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



	योग	438	109	547
4.9 रा0पा0, ललितपुर	मैकेनिकल इंजी0 (मेंटी0 विशि0)	60	15	75
	सिविल अभि0	60	15	75
	मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटियल प्रैक्टिस (प्र0क्ष0 कमी)	30	7	37
	पी0 जी0 डी0 इन एकाउण्टेंसी विद कम्प्यूटर एण्ड टैक्स0 (प्र0क्ष0 कमी)	30	7	37
	<b>योग</b>	<b>180</b>	<b>44</b>	<b>224</b>
4.10 रा0पा0, उरई, जालौन	सिविल इंजी0	60	15	75
	मार्डन आफिस मैने0 एण्ड से0 प्रै0 (प्र0क्ष0 कमी)	30	7	37
	सिविल इंजी0 (इन्वायरमेंट एण्ड पाल्यू0 कन्ट्रोल विशि0 के साथ)	60	15	75
	<b>योग</b>	<b>150</b>	<b>37</b>	<b>187</b>
4.11 वीरांगना झलकारी बाई रा0म0पा0, झांसी	इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	60	15	75
	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	60	15	75
	इलेक्ट्रीकल इंजी0	60	15	75
	फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेंट टेक्नालाजी	60	15	75
	इन्स्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल	60	15	75
	पी0जी0डी0सी0ए0 (प्र0क्ष0 कमी)	30	7	37
	पी0जी0 डिप्लोमा इन डाटा साइंस एण्ड मशीन लर्निंग	60	15	75
		<b>योग</b>	<b>390</b>	<b>97</b>
4.12 रा0पा0, महोबा	इलेक्ट्रीकल इंजी0	60	15	75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।